

माननीय प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की जागृति विहार योजना(विस्तार), मेरठ में दुर्बल आय वर्ग फ्लैटों (जी+3) के आन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

मा0 प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की जागृति विहार योजना(विस्तार), मेरठ में (जी+3) फ्लैटों के आन-लाइन पंजीकरण (**Online Registration**) में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :-

आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Pradhanmantri Awas Yojan-Online Registration" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में सम्बन्धित योजना पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन-लाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा **ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।**

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :-

- उपरोक्तनुसार आन-लाइन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
 - ✓ Visit website www.upavp.in & click on link " Pradhanmantri Awas Yojna-Online Registration "
 - ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
 - ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and property.
 - ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
 - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card.**
 - ✓ If applicant selected '**e-challan**' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
 - ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch.**
- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ दर्ज/अपलोड की जायेगी।
- आन-लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र, ई-चालान की प्रति आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :-

जागृति विहार योजना(विस्तार), मेरठ के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता-

"सम्पत्ति प्रबंधक

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय-जागृति विहार योजना(विस्तार),मेरठ

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9, शास्त्रीनगर,

मेरठ (उ0 प्र0)-250001"
